SHRI V. NARAYANASAMY: His contribution to the House is so much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): I share your concern, Mr. Narayanasamy.

मैंने जैसा बताया कि ओबिचुअरी रिफरेंस तैयार हो रहा है उसके बाद ही घोषणा की जायेगी।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है राष्ट्र को। महान परम्परा के प्रतीक थे इस सदन के।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ये सब बातें आप ओबिचुअरी रिफरेंस में कहियेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या मैं बोलूं . . .

उपसभाध्यक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज : जब तक औपचारिक रूप से ओबिचुअरी रिफरेंस का प्रस्ताव नहीं आ जाता तब तक सदन चलेगा।

Havala rackets in Delhi and other metropolitan cities

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में जो आर्थिक अपराध हो रहे हैं उन आर्थिक अपराधों के चलते देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा रही है और औद्योगिक व्यवस्था भी चरमरा रही है और जिस प्रकार से देश में कालाधन बढ़ रहा है उस ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजधानी में अनेक जगहों पर ऐसे गुप्त स्थान हैं जहां से हवाला रैकिट चलाया जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि तस्करों को विदेशी मुद्रा की सुविधा भी मिल जाती है। हवाला एक तरह की बैंकिंग प्रणाली है जिसमें सरकार को मुद्रा परिवर्तन में कमीशन मिलने के बजाय हवाला रैकिट में यह पैसा चला जाता है। इस कारण से सरकार को राजस्व में मिलने वाली विदेशी मुद्रा का भी भारी नुकसान होता है। बतलाया यह गया है कि हवाला रास्ते बैंकों की तरह की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों में एजेन्टों के माध्यम से भारी-भारी रकमों का लेनदेन गुप्त संकेतों के माध्यम से किया जाता है। हवाला धन्धे में तस्करों को अबैध तरीके से कालाधन इकट्ठा करने में सहायता मिलती है।

जैसा मैंने पूर्व में कहा, इन कारणों से देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा रही है। यह भी जानकारी में आया है कि राजधानी में दक्षिण दिल्ली में ग्रेटर कैलाश, शहरी दिल्ली में चांदनी चौक, पहाड़गंज, करौलबाग तथा नई दिल्ली में कनाट प्लेस आदि क्षेत्रों में हवाला धन्धा करने वालों के अनेक गुप्त ठिकाने हैं जहां से समानान्तर बैंकिंग प्रणाली अबैध रूप से चलाई जाती है। हवाला धन्धा करने वाले एजेन्ट भी सभी प्रमुख देशों में हैं। महानगर टेलीफोन निगम द्वारा पूरे देश में जगह-जगह पर टेलीफोन की एस० टी० डी० और आई०एस०डी० की जो सुविधा है उसका भी ये लोग छिप-छिप कर दुरुपयोग या उपयोग करते हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : महोदया, सदन के एक वरिष्ठ सदस्य का देहावसान हो गया है, इसलिए सदन की कार्यवाही चलना ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : इस संबंध में अभी आबिच्यूरी रेफरेन्स औपचारिक रूप से सामने नहीं आया है। जब वह आ जाएगा तो स्थगित कर देंगे।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उतनी देर के लिए सदन को स्थगित कर दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आबिच्यूरी रेफरेन्स आ जाएगा तो स्थगित कर देंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: जयप्रकाश जी की मृत्यु की घोषणा सदन में की गई थी।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जयप्रकाश बाबू इस सदन के सदस्य नहीं थे... (**व्यवधान**)। आप सही कह रहे हैं, यह ममता बनर्जी की तरह नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): पाण्डेय जी, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब तक औपचारिक रूप से रेफरेन्स नहीं आ जाता है तब तक जैसी सूचना आपको मिली है वैसी ही सूचना मिली है। उसको कंफर्म तो कर लेने दीजिये। कंफर्म होने दीजिये और उतनी देर में आबिच्यूरी रेफरेन्स आ जाएगा, तब तक सदन की कार्यवाही चलने दीजिये।

प्रो० आई० जी० सनदी (कर्णाटक): महोदया, हम बहुत दुखी हैं... (**व्यवधान**)।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): आप अकेले दुखी नहीं हैं। मैं आपसे भी ज्यादा दुखी हूं, सारा सदन दुखी है। मैं आपके दुख में शरीक हूं। मैं तो सिरकत कर रही हूं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: महोदया, आप 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दीजिये। एक सीनियर मेम्बर का निधन हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): सदस्य चाहे सीनियर हों या जूनियर हों, अगर किसी का निधन होता है तो सभी को दुख होता है। इस बीच में आबिच्यूरी रेफरेन्स आ जाता है, तब तक के लिए सदन को चलने दीजिये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आप ममता मयी देवी हैं, भावनाओं को समझती हैं।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, पूरा सदन दुखी है ...(**व्यवधान**)। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: महोदया, अगर सदन चलता है तो यह उनकी पार्थिव काया का अपमान होगा।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Asdhra Pradesh): Somewhere, we have to be human being... (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वरा): खबर का कंफर्म होना तो जरूरी है। सचिवालय को कंफर्म तो कर लेने दीजिये।

श्री राम नरेश यादव: महोदया, अब सदन को चलाने की जरूरत नहीं है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: उनका सांगली में डेढ़ बजे निधन हो गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): सांगली में हुआ या पूना में हुआ है, यह भी कंफर्म करना है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आबिच्यूरी रेफरेन्स बन रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रस्ताव तैयार हो रहा है।

श्री राम नरेश यादव: ऐसी स्थिति में सदन की भावना को देखते हुए जब तक प्रस्ताव तैयार नहीं हो जाता है तब तक के लिए सदन को स्थगित कर दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): मैं यही कह रही हूं कि अगर सदन के सदस्य चले जाएंगे तो आबिच्यूरी रेफरेन्स कौन रखेगा?

डा० रत्नाकर पाण्डेय: हम लोग रहेंगे, सारे सदस्य रहेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): आपकी बात मैंने सुन ली, माथुर जी। ...(*Interruptions*)...

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): May I make a suggestion, Madam? The Minister of Parliamentary Affairs is sitting here. Let him confirm it and let him say something about it. This controversy in such a situation...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): कन्ट्रोवर्सी तो है ही नहीं There is no controversy. There cannot be any controversy.... *(Interruptions)*...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: We are very much grieved. Let the Minister of Parliamentary Affairs say something on it.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं कहना चाहता हूं और हमारे सहयोगी भी सहमत हो सकते हैं यदि ऐसा दुख है और वेदना सभी को है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी गये हैं। अगर आप उचित समझें तो दस मिनट के लिये हाउस एडजर्न कर दें और दुबारा, जब रिफरेंस आये तो फिर हाउस बुला लें। दस मिनट के लिये हाउस एडजर्न कर दिया जाये।

SHRI BHADRESWAR BURAGOHAIN (Assam): That will be better.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): अगर सदन की भावना यही है...

डा० बापू कालिदास (महाराष्ट्र): एडजर्न करेंगे तो उसमें इसका कोई संदर्भ नहीं होना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): यह सही है, इसका संदर्भ हो ही नहीं सकता। लेकिन एडजर्न करते समय मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगी कि सभी साथी यहां लाबी में रहें। और भी साथी जिनको इसका पता लगे वे भी रहें। आबिच्यूरी रिफरेंस पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये यहां लोग होने चाहिये। ठीक है, मैं सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए दस मिनट के लिये सदन स्थगित करती हूं। अगले दस मिनटों के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

The House then adjourned at fifty-one minutes past two of the clock.

The House re-assembled at fifty-seven minutes past three of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

MR. CHAIRMAN: In view of the sad news of the passing away of Shri Appasaheb Kulkarni, I adjourn the House. We meet again tomorrow at 11.00 A.M.

The House then adjourned at fifty-seven minutes past three of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 28th April, 1992.

MGIPMRND—M—132 RS—19-6-93— 400.